प्रधान
प्रशाखा
....
29/6/18

पत्र संख्या–01/स्था0 (विविध)–16/2018 3453 /न०वि०आ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभागप्रे

प्रेषक,

भरत झा, भा0प्र0से0
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन–
सह–अपर सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद्।
कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर पंचायत।

पटना, दिनांक– 29/06/18

विषयः–बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों का समुचित कार्यान्वयन हेतु नगर निकायों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाएँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त करने हेतु मानक स्थिति (Core Position) का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत् राज्य के नगर निकायों को सौंपे गये कृत्यों एवं दायित्वों के समुचित निर्वहन एवं कार्यान्वयन में तकनीकी तथा साफ–सफाई इत्यादि कार्यों के लिए नगर निकायों के विभिन्न स्तर पर सेवाओं के अभाव में काफी कठिनाईयाँ महसूस की जा रही थी। उक्त कठिनाईयों के निराकरण एवं आम–जनों को बेहतर नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विचारोपरान्त नगर निकायों के कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार सेवाओं की उपलब्धता आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इसलिए नगर निकायों के विभिन्न स्तर पर सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु निम्नवत् मानक निर्धारित किया जाता है :–

(क) नगर पंचायत स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु मानक विवरणी।

क्रमांक	कर्मियों/सेवाओं का प्रकार	मानक संख्या
1	वार्ड सचिव	6 वार्ड के लिए एक (+1 leave reserve ULB level)
2	मल्टी टास्किंग स्टाफ	प्रत्येक नगर पचांयत के लिए 4
3	सामाजिक विकास एसोसिएट	प्रत्येक नगर पचांयत के लिए 1
4	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	प्रत्येक नगर पचांयत के लिए 2
5	आदेशपाल/रात्रिप्रहरी	प्रत्येक नगर पचांयत के लिए 2
6.	पलम्बर	प्रत्येक नगर पंचायत के लिए 1
7	डोर टू डोर कचड़ा उठाव	200 मकान पर 02 कर्मी
8	गली झाड़ुकश	01 किलोमीटर सड़क (दोनो ओर) के लिए 02
9	नाली सफाई दल	प्रत्येक नगर पंचायत 01 दल (प्रति दल 05 सदस्य)
10	वाहन दल	10000 आबादी पर 01 छोटा टीपर (01 चालक एवं दो सहायक सहित) 10000 आबादी पर 01 ट्रैक्टर (01 चालक एवं 02 सहायक सहित)
11	पम्प चालक	प्रत्येक पम्प के लिए 03 पम्प चालक

hr

(ख) नगर परिषद स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु मानक विवरणी।

क्रमांक	कर्मियों/सेवाओं का प्रकार	मानक संख्या
1	वार्ड सचिव	तीन वार्ड के लिए एक
2	मल्टी टास्किंग स्टाफ	प्रत्येक नगर परिषद के लिए 6
3	सामाजिक विकास एसोसिएट	एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर परिषद हेतु 2
4	सूचना तकनीकी सहायक	प्रत्येक नगर परिषद के लिए 1
5	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	प्रत्येक नगर परिषद के लिए 4
6	आदेशपाल/रात्रिप्रहरी	प्रत्येक नगर परिषद् के लिए 2
7	पलम्बर	प्रत्येक नगर परिषद् के लिए 2
8	डोर टू डोर कचड़ा उठाव	200 मकान पर 02 कर्मी
9	गली झाडुकश	01 किलोमीटर सड़क (दोनो ओर) के लिए 02
10	नाली सफाई दल	10 वार्ड पर एक दल (प्रति दल 05 सदस्य)
11	वाहन दल	10000 आबादी पर 01 छोटा टीपर (01 चालक एवं दो सहायक सहित) 10000 आबादी पर 01 ट्रैक्टर (01 चालक एवं 02 सहायक सहित) 50000 आबादी पर 01 कैम्पक्टर (01 चालक एवं 02 सहायक सहित) 50000 आबादी पर 01 जे0सी0बी0 (01 चालक एवं 01 सहायक सहित) 50000 आबादी पर 01 फौगिंग मशीन (01 चालक एवं 01 सहायक सहित)
12	अतिक्रमण प्रबन्धन	01 उप निरीक्षक 04 सशस्त्र पुलिस 08 डंडा पुलिस (पुलिस महानिदेशक कार्यालय/गृह विभाग से प्रतिनियुक्ति के द्वारा)
13	पम्प चालक	प्रत्येक पम्प के लिए 03 पम्प चालक

(ग) नगर निगम (पटना नगर निगम छोड़कर) के स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु मानक विवरणी।

क्रमांक	कर्मियों/सेवाओं का प्रकार	मानक संख्या
1	वार्ड सचिव	प्रत्येक वार्ड के लिए 1
2	मल्टी टास्किंग स्टाफ	प्रत्येक नगर निगम के लिए 16
3	सामाजिक विकास एसोसिएट	प्रत्येक नगर निगम के लिए 2
4	सिस्टम एनालिस्ट– सह–कम्प्यूटर प्रोग्रामर	प्रत्येक नगर निगम के लिए 1
5	सिस्टम सहायक	प्रत्येक नगर निगम के लिए 2
6	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	प्रत्येक नगर निगम के लिए 6
7	आदेशपाल/रात्रिप्रहरी	प्रत्येक नगर निगम के लिए 4
8	पलम्बर	प्रत्येक नगर निगम के लिए 4
9	डोर टू डोर कचड़ा उठाव	200 मकान पर 02 कर्मी
10	गली झाडुकश	01 किलोमीटर सड़क (दोनो ओर) के लिए 02
11	नाली सफाई दल	05 वार्ड पर एक दल (प्रति दल 05 सदस्य)
12	वाहन दल	10000 आबादी पर 01 छोटा टीपर (01 चालक एवं दो सहायक सहित) 10000 आबादी पर 01 ट्रैक्टर (01 चालक एवं 02 सहायक सहित) 50000 आबादी पर 01 कैम्पक्टर (01 चालक एवं 02 सहायक सहित) 50000 आबादी पर 01 जे0सी0बी0 (01 चालक एवं 01 सहायक सहित) 50000 आबादी पर 01 फौगिंग मशीन (01 आदमी)
13	अतिक्रमण प्रबन्धन	01 उप निरीक्षक 01 सहायक उप निरीक्षक 04 सशस्त्र पुलिस 08 डंडा पुलिस (पुलिस महानिदेशक कार्यालय/गृह विभाग से प्रतिनियुक्ति के द्वारा)
14	पम्प चालक	प्रत्येक पम्प के लिए 03 पम्प चालक

(घ) पटना नगर निगम स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु मानक विवरणी।

क्रमांक	कर्मियों/सेवाओं का प्रकार	मानक संख्या
1	आशुलिपिक (प्रत्येक अपर नगर आयुक्त के साथ–01, नगर आयुक्त के साथ 02, मुख्य अभियंता के साथ 01 एवं निदेशक, शहरी योजना के साथ 01	09
2	मल्टी टास्किंग स्टाफ (मुख्यालय एवं अंचल कार्यालय सहित)	100
3	सामाजिक विकास एसोसिएट (प्रत्येक अंचल के लिए 02)	12
4	आई0टी0 मैनेजर	01
5	आई0टी0 सुपरवाईजर (प्रत्येक अंचल के लिए 01)	06
6	नेटवर्क एनालिस्ट	01
7	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01
8	एसोसिएट प्रोग्रामर	01
9	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	34
10	आदेशपाल/रात्रिप्रहरी मुख्यालय स्तर पर 6 एवं 06 अंचलों के लिए प्रत्येक अंचल में 02	18
11	पलम्बर (प्रत्येक अंचल के लिए 03)	18
12	डोर टू डोर कचड़ा उठाव	200 मकान पर 02 कर्मी
13	गली झाडुकश	400 मीटर सड़क (दोनो ओर) के लिए 02
14	नाली सफाई दल	05 वार्ड पर एक दल (प्रति दल 05 सदस्य)
15	वाहन दल	10000 आबादी पर 01 छोटा टीपर (1 चालक एवं दो सहायक सहित) 10000 आबादी पर 01 ट्रैक्टर (01 चालक एवं 02 सहायक सहित) 50000 आबादी पर 01 कैम्पक्टर (01 चालक एवं 02 सहायक सहित) 50000 आबादी पर 01 जे0सी0बी0 (01 चालक एवं 01 सहायक सहित) 50000 आबादी पर 01 फॉगिंग मशीन (01 चालक एवं 01 सहायक सहित)
16	अतिक्रमण प्रबन्धन	01 उप निरीक्षक 02 सहायक उप निरीक्षक 08 सशस्त्र पुलिस 20 डंडा पुलिस (पुलिस महानिदेशक कार्यालय/गृह विभाग से प्रतिनियुक्ति के द्वारा)
17	पम्प चालक	प्रत्येक पम्प के लिए 03 पम्प चालक

2. उपर्युक्त निर्धारित मानक के अनुसार सेवाओं की अधिप्राप्ति निम्नवत् शर्त्तों के अधीन किया जाय :–

(i) नगर निकायों मे तकनीकी सेवा बेल्ट्रॉन, जो राज्य सरकार का उपक्रम है, के द्वारा आवश्यकतानुसार मानक में निर्धारित अधिसीमा के अन्दर सेवा प्राप्त किया जाय।

(ii) नगर निकायों मे साफ–सफाई इत्यादि कार्य के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से ई0–प्रोक्युरमेंट द्वारा मानक में निर्धारित अधिसीमा के अन्दर सेवा प्राप्त किया जाय।

(iii) उपर्युक्त कंडिका (i) एवं (ii) की सेवाओं की अधिप्राप्ति में होनेवाले व्यय का वहन नगर निकायों की निधि तथा राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये राशि तथा राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 50 प्रतिशत राशि में से राज्य सरकार द्वारा समय–समय निर्गत निर्देशों के अधीन किया जाय।

(iv) नगर निगमों/नगर परिषदों में अतिक्रमण प्रबंधन हेतु मानक विवरणी के अनुसार आरक्षी पदाधिकारियों एवं पुलिस की उपलब्धता पुलिस महानिदेशक एवं गृह विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जायेगी, इसके लिए विभाग स्तर से गृह विभाग एवं पुलिस महानिदेशक से अनुरोध किया जायेगा।

(v) उपर्युक्त निर्धारित मानक अधिकतम है, अतएव नगर निकाय अपनी वित्तीय स्थिति, उपलब्ध संसाधन को दृष्टिपथ में रखते हुए आवश्यकतानुसार ही निर्धारित अधिसीमा के अन्तर्गत सेवा प्राप्त करेंगे।

विश्वासभाजन,

(भरत झा)
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन–
सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था0 (विविध)–16/2018–2453/न०वि०आ०वि०,पटना/दिनांक–29/06/18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/बिहार राज्य आवास बोर्ड/बिहार शहरी आधारभूत संरचना एवं विकास निगम/सभी जिला शहरी विकास अभिकरण/बिहार शहरी विकास अभिकरण/नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन/सभी विभागीय पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन–
सह–अपर सचिव।